Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 07, (दिसंबर, 2024)
पृष्ठ संख्या 01–03

एक नजर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर

मनोज कुमार
शोध छात्र, कृषि प्रसार शिक्षा विभाग,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविध्यालय,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: – mkpaswan97@gmail.com

परिचय

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल सकल घरेलू उत्पादें कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 16.00 प्रतिशत है। भारत में 54.60 प्रतिशत आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है (जनगणना 2011)। कृषि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन भारतीय कृषि को कई कारकों के कारण जोखिम वहन और अनिश्चितता को झेलना पड़ता है, जैसे प्रौद्योगिकी की कमी, जोखिम अल्पीकरण के ज्ञान की कमी, सिंचाई, मौसम की स्थिति, बीजों का उपयोग, उर्वरक कीटनाशक, मानसून में अनिश्चितता, आदान आपूर्ति सुविधाओं की कमी, उचित बाजार सुविधा की अनुपलब्धता, कीट और रोग, उत्पादन की तुलना में उच्च व्यय, प्रत्येक वर्ष में अनिश्चित आय। फसलों के प्रबंधन में मौसम और जैविक अनिश्चितताओं पर निर्भरता के कारण, भारत में कृषि उत्पादन में उतार–चढ़ाव होता रहता है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय और किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि बीमा विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं से उत्पन्न और आय के जोखिम को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। देश में सीमांत और छोटे किसानों की जोखिम वहन करने की क्षमता बहुत सीमित है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि में जोखिम और अनिश्चितता से बचने के लिए, सरकार द्वारा कृषि में विकास और किसानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए विभिन्न कृषि विकास योजनाएं लागू किए हैं। कृषि बीमा अनिश्चितताओं के कारण हुए वित्तीय नुकसान के खिलाफ कृषक की रक्षा करने का एक साधन है। दुर्भाग्य से, देश में कृषि बीमा ने बहुत प्रगति नहीं की है, भले ही कृषि परिवर्तनशीलता से किसानों की रक्षा करने की आवश्यकता कृषि नीति की निरंतर चिंता का विषय रही है। फसल बीमा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसान कृषि आय और निवेश को स्थिर कर सकते हैं और प्राकृतिक खतरों या कम बाजार कीमतों के कारण नुकसान के विनाशकारी प्रभाव से बच सकते हैं।

मुख्यता

भारत सरकार द्वारा चलाई गई लोकप्रिय बीमा योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री

फसल बीमा योजना है जो न केवल प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के कारण हुये नुकसान पर किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है, बल्कि उन्हें नवीन आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जून 2016 मे शुरू किया गया था। किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम खरीफ फसल के लिए बीमित मूल्य का सिर्फ 2 प्रतिशत, रबी सीजन के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। सरकार का ध्यान इस योजना के अंतर्गत ऋण के बिना अधिक से अधिक किसानों को सम्मिलित करने पर हैं। योजना का उद्देश्य कुल फसल क्षेत्र के 50 प्रतिशत यानी 19.40 मिलियन हेक्टेयर को कवर करना है और उपज डेटा में सुधार और दावों को स्वचालित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और उन्हें खराब मौसम से हुये छत्ती से भी बचाती हैं। पीएमएफबीवाई, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ–साथ संशोधित एनएआईएस की एक प्रतिस्थापन योजना है। चूंकि पीएमएफबीवाई योजना, एनएआईएस और एमएनएआईएस की प्रतिस्थापन योजना है, इसलिए योजना के कार्यान्वयन में शामिल सभी सेवाओं की सेवा कर देयता से छूट है। किसानों को पहले की बीमा योजनाओं के जटिल नियमों के जाल को हटा दिया गया है। योजना में मौजूदा योजनाओं के सफल पहलुओं को शामिल किया गया, और पहले की योजनाओं में जो कुछ भी कमी थी, उसे प्रभावी ढंग से संशोधित किया गया है। 2016–17 के दौरान 5.70 करोड़ किसानों ने फसल बीमा पॉलिसी पीएमएफबीवाई पूरे भारत में खरीदी। इस योजना को कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित राज्य के समग्र मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत चयनित बीमा कंपनियों द्वारा बहु–एजेंसी ढांचे के माध्यम से लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य

1. प्राकृतिक आपदाओं, पीड़कों और बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. किसानों की आय को स्थिर करना ताकि खेती में उनकी निरंतरता बनी रहे।

3. किसानों को अभिनव और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

केन्द्र सरकार ने 18 सितम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल) के कार्यान्वयन के लिए नए परिचालन दिशा–निर्देश जारी किया। नए संशोधित प्रावधानों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी के लिए राज्यों और बीमा कंपनियों के लिए दंड का प्रावधान शामिल है।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्तिथी:

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में लगभग 20 करोड़ थी। 2019–20 में कृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल खेती योग्य क्षेत्र 35.5 लाख हेक्टेयर से अधिक था, जिसमें लगभग 47 लाख किसानों ने पीएमएफबीवाई के तहत बीमा कराया था। वास्तव में, यह 16,743 करोड़ रुपये की बीमा राशि में तब्दील हो गया। रिकॉर्ड के अनुसार यह भी पीटीए लगता हैं कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान से काफी पीछे था, जहां क्रमशः 1.45 करोड़ और 85 लाख किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत बीमा कराया गया है। वास्तव में, राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के तहत बीमाकृत 6.12 करोड़ किसानों में से केवल 7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के थे। वित्तीय रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि कृषि प्रयोजनों के लिए खरीफ 2016 में 33.59 लाख किसानों ने मौसमी ऋण लिया था। ऋण पाने वाले किसानों के खरीफ और रबी सीजन की अधिसूचित फसलों का स्वतरू बीमा किया गया था क्योंकि बैंकों द्वारा स्रोत पर बीमित फसलों के प्रीमियम को डेबिट किया गया था।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के जोखिम को कवर करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ऋण लेने वाले किसानों की प्रीमियम राशि भी कृषि बीमा कंपनियों को दी गई थी। भारत कुल 18 बीमा कंपनी हैं जो PMFBY के अर्न्तगत कृषि बीमा करती है। उत्तर प्रदेश में, 2022–23 के खरीफ और रबी सीजन के लिए, कई कार्यान्वयन बीमा कंपनियां चालू थीं, जिनमें शामिल है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस और इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी।

उत्तर प्रदेश के कृषि सांख्यिकी और फसल बीमा निदेशक उत्तर प्रदेश में पीएमएफबीवाई के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल कार्यकारी अधिकारी हैं। बैंकों के कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तर पर बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश के कृषि सांख्यिकी और फसल बीमा निदेशक के लिए जिम्मेदार हैं। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के पीएमएफबीवाई की प्रगति की निगरानी करते हैं। पीएमएफबीवाई की राज्य स्तरीय निगरानी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सौंपी जाती है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट पीएमएफबीवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर पीएमएफबीवाई के नोडल अधिकारी कृषि उप निदेशक होते हैं। जिले के कृषि उप निदेशक के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिले के पीएमएफबीवाई की प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि उप निदेशक के अधीन माहवार बैठक आयोजित की जाती है। किसानों, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रीमियम की राशि की अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर निगरानी समिति द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के दावों की भी समीक्षा की जाती है।